



जाधपुर

विद्युत वितरण

निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651337 (का) 2651389(नि) फेक्स नं० 2741870

जयपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) फेक्स नं. 2740121

क्रमांक:- प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० / प्र०सं० 1000 जोधपुर, दिनांक:- 21/11/05

आदेश

विषय: कृषि श्रेणी के बिलों को तदर्थ आधार पर बिलों का भुगतान स्वीकार करने के सम्बन्ध में ।

पूर्व में आदेश क्रमांक 965 दिनांक 15.09.2005 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-285) एवं क्रमांक 1338 दिनांक 14.11.2005 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-296) के द्वारा यह हिदायत दी गई थी कि सामान्य श्रेणी (मीटर्ड) (कोड-4000), सामान्य श्रेणी फ्लैट रेट (कोड-4100) एवं विशेष श्रेणी(फार्म हाऊस के अतिरिक्त) के कृषि उपभोक्ताओं के बिजली के बिल तदर्थ आधार पर पुरानी दरों पर (टैरिफ-2001) के अनुसार जमा कराये जा सकेंगे । उक्त आदेश में यह भी बताया गया था कि यद्यपि ये बिल नई दरों पर जारी किये जायेंगे किन्तु किसानों से नई दरों पर भुगतान के लिए जोर नहीं दिया जाये एवं भुगतान पुरानी दरों पर स्वीकार किया जायें ।

उक्त आदेशों के क्रम में, बिलिंग माह दिसम्बर, 2005 से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की फार्म हाऊस श्रेणी के वे उपभोक्ता जिन्हें 24 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, के बिल भी नई दरों पर जारी किये जायें किन्तु बिलों का भुगतान पुरानी दरों पर लिया जायें एवं किसानों को नई दरों पर भुगतान के लिये जोर नहीं दिया जायें । उपरोक्त व्यवस्था बिलिंग माह जून, 2005 से जारी बिलों की बकाया राशि पर भी लागू होगी तथा ऐसे पूर्व में जारी बिलों की पुरानी दर की राशि की गणना उपखण्ड स्तर पर की जाकर बिल का भुगतान पुरानी दर पर स्वीकार किया जायें । बिलों का लेखांकन (Accounting) के बारे में दिशा-निर्देश मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर के द्वारा पृथक से जारी किए जा रहे हैं । यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी ।

आदेशानुसार।

(एच०एस०देवड़ा)

मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ❖ ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- ❖ आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर ।
- ❖ मुख्य अभियन्ता(जोधपुर जोन),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ जिला कलेक्टर, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जालोर/चूरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर ।
- ❖ वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ उप मुख्य अभियन्ता(एम.एम.एण्ड सी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर ।
- ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्ड पी/बी.एफ.एल.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर ।
- ❖ निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ ।
- ❖ निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ ।
- ❖ प्रा.वे.सहा.अध्यक्ष, डिस्कॉम, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ हेतु ।
- ❖ सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर ।
- ❖ अति.पुलिस अधीक्षक(सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर(आपके अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतियां संलग्न)
- ❖ प्रा.वे.सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ
- ❖ वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ ।
- ❖ कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ अधिशाषी अभियन्ता(), जोधपुर डिस्कॉम,.....
- ❖ प्रा.वे.सहा. मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एम.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ सहायक अभियन्ता(), जोधपुर डिस्कॉम,..... (आप के अधीनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न हैं) ।
- ❖ माननीय श्री..... (सांसद/विधायक/जिला प्रमुख)..... ।

मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर